



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 2009/पौष 16, 1930

No. 33]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 2009/PAUSA 16, 1930

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2009

का.आ. 36(अ).—नागरिकता अधिनियम, 1955(1955 का 57) की धारा 7ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के दिनांक 11 अप्रैल, 2005 के का.आ. 542(अ) तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के दिनांक 6 जनवरी, 2007 के का.आ. 12(अ) के क्रम में, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित अधिकारों का उल्लेख करती है जिनके लिए उक्त अधिनियम की धारा 7क के अंतर्गत प्रवासी भारतीयों के रूप में पंजीकृत व्यक्ति पात्र होंगे, अर्थात् :-

(क) निम्नलिखित के संबंध में अनिवासी भारतीयों के बराबर समानता:-

- (i) भारत में राष्ट्रीय स्मारकों, ऐतिहासिक स्थलों और संग्रहालयों में प्रमण के लिए लिया जाने वाला प्रवेश शुल्क;
- (ii) संबंधित अधिनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, भारत में निम्नलिखित व्यवसाय करना :
 - (a) चिकित्सक, दंतचिकित्सक, परिचायिका और भेषजज्ञ;
 - (b) अधिवक्ता;
 - (c) वास्तुकार;
 - (d) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट;

(ख) संबंधित अधिनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसरण में अखिल भारतीय प्री-मेडिकल परीक्षा अथवा ऐसी कोई अन्य परीक्षाएं जो उन्हें दाखिले के लिए पात्र बनाएं, में भाग लेना ।

[फा. सं.ओ आई-15013/13/2008-डीएस]

डी. एन. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2009

S. O. 36(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7B of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), and in continuation of the notifications of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 542(E), dated the 11th April, 2005 and in the Ministry of Overseas Affairs S.O. 12(E), dated the 6th January, 2007, the Central Government hereby specifies the following rights to which the persons registered as the overseas citizen of India under Section 7A of the said Act, shall be entitled, namely:—

- (a) parity with non-resident Indian in respect of,—
 - (i) entry fees to be charged for visiting the national monuments, historical sites and museums in India;
 - (ii) pursuing the following professions in India, in pursuance of the provisions contained in the relevant Acts, namely:—
 - (i) doctors, dentists, nurses and pharmacists;
 - (ii) advocates;
 - (iii) architects;
 - (iv) chartered accountants;
- (b) to appear for the All India Pre-Medical Test or such other tests to make them eligible for admission in pursuance of the provisions contained in the relevant Acts.

[F.No. OI-15013/13/2008-DS]

D. N. SRIVASTAVA, Jt. Secy.